न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—15 / 2021 (2021 / 38) वाद पत्र

अनवान

1—शंकरलाल पिता रतनलाल लढ़ा महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—रामलाल पिता रतनलाल लढ़ा महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—रूपलाल पिता रामचन्द्र दर्जी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भगवतीलाल पिता लालूराम दर्जी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन — प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—22 / 02 / 2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खातेदार शोभालाल पिता रूपचन्द महाजन निवासी बोराणा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 552 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि अन्य आराजी के साथ साबिक खाता संख्या 812 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त साबिक जमाबन्दी में साबिक आराजी संख्या 552 सम्पूर्णतः जरिये नामान्तकरण संख्या 2553 दिनांक 09.01.2002 को खोला गया जिसमें वादी शंकरलाल के हिस्से के मूल साबिक नम्बर के बटा नम्बर 552 / 1 रकबा 17 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 1 के बटा नम्बर 552 / 2 रकबा 16 बिस्वा दर्ज किये इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी मौके पर काबिज है। उक्त साबिक आराजी संख्या 552 साबिक नक्शे में एक ही आकार में समचोरस रूप में था इससे राजस्व कर्मचारियो ने विभाजन के समय नामान्तकरण के साथ चस्पा नक्शे में टुकड़े में बटा नम्बर दर्ज किये जो वाद के पेश है। ग्राम बोराणा का सेटलमेन्ट हुआ जिससे साबिक आराजी संख्या 552 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के नवीन नम्बर 4771 / 1512 रकबा 0.18 है0 आराजी संख्या 4770 / 1512 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1515 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 है0 कायम हुए। प्रमाण में मिलान क्षैत्रफल नवीन जमाबन्दी वाद के साथ प्रस्तुत है। सेटलमेन्ट के दौरान भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का गलत इन्द्राज करने या हेरफेर करने का कोई विधिक आदेश नही होता है लेकिन वादी एवं प्रतिवादी के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही किया गया बल्कि विभाजन के पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

जो नक्शा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी के बटा नम्बर कायम किया उसके अनुसार उन्होने नवीन नक्शा आकृति में छोटा फीट कर दिया तथा नवीन आराजी संख्या 1515 रकबा 0.05 है0 को नवीन नक्शे में नवीन आराजी संख्या 1512 के पश्चिमी कोने पर अलग से टुकड़ा फीट कर दिया जो गलत है। वादी एवं प्रतिवादी दोनो मौके पर विभाजन किये गये नक्शे के अनुसार ही काबिज है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम बोराणा के नवीन नक्शे में दर्ज नवीन आराजी संख्या 1515 रकबा 0.05 है0 को साबिक नक्शे में दिनांक 09.01.2002 को किये गये विभाजन के बटा नम्बर साबिक नक्शे के अनुरूप दुरस्त कराया जाकर उसी आकृति एवं रकबे में 0.05 है0 नवीन आराजी संख्या 4770/1512 में समायोजित कर दुरस्ती का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम जारी फरमाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08/02/2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्होन जवाब प्रस्तुत किया जो शमिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने पर इसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फॉरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 आराजी संख्या 552/2 रकबा 16 बिस्वा पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी आराजी संख्या 4771/1512 रकबा 0.18 है0 पर ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है परंतु वादी जबरन प्रतिवादी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का भूमि का नवीन नक्शा सही कायम किया है। वादी की नवीन आराजी संख्या 4770/1512 रकबा 0.13 है0 की नवीन नक्शा 0.18 है0 का है तथा मौके पर भी पुरा है परंतु आराजी संख्या 1515 रकबा 0.05 है0 को नवीन नक्शे में अलग जगह दर्शा दिया गया जो गलत है। वादी की नवीन आराजी संख्या 1515 को उसकी आराजी संख्या 4770/1512 के नक्शे में तरमीम किया जाना है। वादपत्र की कलम संख्या 10 वादी की प्रार्थना है जो प्रतिवादी के मुकाबले गलत होकर विधी विरूद्व है। वादी की आराजी संख्या 4770/1512 व 1515 का नवीन नक्शा ही तरमीम किया जाना है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जाए।

प्रकरण में कमिश्नर बोराणा से [illegible] रिपोर्ट ली गई। कमिश्नर बोराणा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया [illegible] 2 रकबा 0.13 है0 खातेदार शंकरलाल पिता रतनलाल लढ्ढा [illegible] के नाम [illegible] है परन्तु मौके के अनुसार इस खसरे का रकबा 0.18 है0 एवं [illegible] महाजन के कब्जे काश्त में होकर उपयोग मे ले रहे है। खसरा नम्बर 4771/1512 रकबा 0.18 है0 खातेदार रामपाल पिता रतनलाल महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड है मौके के अनुसार रकबा 0.18 है0 होकर शंकरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

पिता रतनलाल महाजन के कब्जे काश्त में होकर उपयोग में ले रहे है। खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.05 है0 खसरा नम्बर 1514 में मिला हुआ है खसरा नम्बर 1514 का रकबा मौके के अनुसार रकबा 0.20 है0 के बजाय 0.15 है0 है खसरा नम्बर 1514 व 1515 दोनो का रकबा 0.20 है0 है तथा खसरा नम्बर 1515 पूर्व में ही खसरा नम्बर 1514 में मिला हुआ था। खसरा नम्बर 1514 शंकरलाल पिता रतनलाल महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रकरण में दानो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ता इस बात पर सहमति व्यक्त की गई की मौके पर जिसके कब्जे में जो भूमि है उस अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती की जाने में कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि साबिक आराजी संख्या 552 के विभाजन अनुसार श्री शंकरलाल पिता रतनलाल महाजन के नाम पर रकबा 17 बिस्वा, एवं रामपाल पिता रतनलाल के नाम पर 16 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तकरण 2553 के दर्ज हुई नवीन भू प्रबन्ध के दौरान खसरा नम्बर 1512 रकबा 0.31 है0 भूमि एवं 1515 रकबा 0.05 है0 दर्ज हुई जो साबिक के मुकाबले सही है। आराजी संख्या 1512 के विभाजन से नवीन आराजी संख्या 4771/1512 रकबा 0.18 है0 भूमि रामपाल पिता रतनलाल महाजन के नाम दर्ज है। जो नवीन आराजी संख्या 1513 के पूर्व में लगती हुई है। आराजी संख्या 1513 भी रामपाल महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आराजी संख्या 4770/1512 रकबा 0.13 है0 व आराजी संख्या 1515 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि शंकरलाल पिता रतनलाल महाजन के नाम दर्ज हुई जो साबिक के मुकाबले सही है। आराजी संख्या 1514 भी शंकरलाल के नाम से दर्ज रेकार्ड है और उसी से लगती हुई पूर्व की ओर से आराजी संख्या 1515 एवं 4770/1512 स्थित है जो शंकरलाल महाजन के नाम दर्ज भूमि एक ही चक के रूप में है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 4771/1512 रकबा 0.18 है0, 4770/1512 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1515 रकबा 0.05 है0 भूमि को खातेदारान के कब्जे को ध्यान में रखते हुए नक्शे में तरमीम दुरस्त की जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो [illegible] राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

22/02/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–15 / 2021 (2021 / 38) वाद पत्र

अनवान

1–शंकरलाल पिता रतनलाल लढ़ा महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–शंकरलाल पिता रतनलाल लढ़ा महाजन निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3–रूपलाल पिता रामचन्द्र दर्जी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4–भगवतीलाल पिता लालूराम दर्जी निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी संख्या 4771 / 1512 रकबा 0.18 है0, 4770 / 1512 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 1515 रकबा 0.05 है0 भूमि को खातेदारान के कब्जे को ध्यान में रखते हुए नक्शे में तरमीम दुरस्त की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.02.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/02/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2022.03.10 11:41:24 IST

Reason: SelfAttested